रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249607
SG-DL-E-23102023-249607

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 258
No. 314]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945	[N. C. T. D. No. 258

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 5/62/ 2022/स्था0/सह0/विवि0/भर्ती नियम/1631.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59—एमआईएन (एच) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)** के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, स्टाफ कार चालक, (सामान्य ग्रेड) भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली के शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	**स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)**
2.	पदों की संख्या	:	*02(2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (रुपये 19900—63200/—)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीपः**— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु—सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः— (i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। (iii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। (iv) मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीयः**— होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा। **टीप 1**:— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

			टीप 2:– यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति/समावेशन जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	:	**प्रतिनियुक्ति/समावेशन :** (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी। अथवा (ii) कार्यालय जहां रिक्ति है, में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 (रुपये 18000–56900/–) के समूह 'ग' कर्मचारियों में से; जिसके न होने पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 (रुपये 18000–56900/–) के समूह 'ग' कर्मचारियों में से तथा मोटर कार चलाने की सक्षमता का आंकलन करने के लिए वाहन चालक परीक्षा के आधार पर। तथा (ख) कॉलम संख्या 7 में यथानिर्धारित निम्नलिखित योग्यता तथा अनुभव रखता हो। **टीप 1:–** प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टीप 2:–** प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (शह0 वि0) – **सदस्य**

			टीप :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

टी. फिलिप थांगलिएनमांग, विशेष रजिस्ट्रार (सहकारी)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCITIES

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2023

F. No. F.5/62/2022/Estt./Coop./Misc/RR/1631.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Min (H) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of **STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE)** in the Registrar Cooperative Societies Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. **Short title and commencement** – (i) These rules may be called the Department of Registrar Cooperative Societies, Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.

2. **Number of post, classification and pay level in the Pay Matrix-** The number of said posts, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) to the schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules..

4. **Disqualifications-** No Person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of posts	Staff Car Driver (Ordinary Grade)
2.	Number of Posts	*02 (2023) *Subject to variation Dependent on work-load
3.	Classification	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4.	Level in the Pay Matrix	LEVEL 2 (Rs. 19900- 63200/-) of the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note-** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	***Essential:-*** i) Pass in 10th standard. ii) Possession of a Valid Driving License for Motor Cars. iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in Vehicle. iv) Experience of Driving a Motor Car for at least three years. **Desirable:** Three year's service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Two Years for Direct Recruits
10	Method of Recruitment, whether by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Deputation/absorption failing which by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	**Deputation /Absorption:** (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department. Or (ii) From amongst Group "C" employees in Level-1 (18000-56900) in Pay Matrix with three years of regular service in the office where vacancy arises failing which from Group C employees in Level-1 (18000-56900) in Pay Matrix with three years of regular service in Central Government/State Government/UT and on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars. And (b) possessing the following qualification and experience as prescribed in Column No. 7.

		Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /Department of the Central Government/State Government/UT territories shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be Not Exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Group 'C' DPC (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/Secretary (PWD) **- Chairman** 2. Head of Department Concerned **- Member** 3. Dy. Secretary (UD) **- Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13.	Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

T. PHILIP THANGLIENMANG, Special Registrar (Cooperative)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA